उत्तर प्रदेश सरकार
विधायी अनुभाग–1

संख्या 1675 / सत्रह–वि–1–1(क)29 / 1995
लखनऊ, 25 अगस्त, 1995
अधिसूचना

विविध

''भारत का संविधान '' के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत लाटरी (निवारण) विधेयक, 1995 पर दिनांक 24 अगस्त, 1995 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–24 सन् 1995 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत लाटरी (निवारण) अधिनियम, 1995

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–24 सन् 1995)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

भारत सरकार यह किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार द्वारा आयोजित लाटरियों के सिवाय उत्तर प्रदेश में समस्त लाटरियों के संप्रवर्तन और संचालन को प्रतिषिद्ध करने के लिये और उनसे संबंधित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के छियालिसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता हैः–

1– संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ–

(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत लाटरी (निवारण) अधिनियम, यह अधिनियम 1995 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करें।

2– परिभाषा –

इस अधिनियम में,–

(क) ''निदेशक'' का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्ति उत्तर प्रदेश राज्य लाटरी के निदेशक से है

(ख) ''लाटरी'' का तात्पर्य टिकट खरीदकर किसी पुरस्कार की संभावना में भाग लेने वाले व्यक्तियों की लाट या संयोग द्वारा पुरस्कारों के वितरण के लिये किसी योजना से है किन्तु इसके अन्तर्गत कोई राज्य लाटरी या पुरस्कार प्रतियोगिता नहीं है

(ग) ''धन'' के अन्तर्गत कोई चेक या कोई अन्य परकाम्य लिखत, पोस्टल आर्डर या कोई मनी आर्डर भी है

(घ) ''पुरस्कार प्रतियोगिता'' का तात्पर्य पुरस्कार प्रतियोगिता अधिनियम, 1995 के अर्थान्तर्गत पुरस्कार प्रतियोगिता से है

(ड) ''राज्य लाटरी'' का तात्पर्य भारत सरकार या भारत का संविधान की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य की या किसी संघ राज्य क्षेत्र की सरकार द्वारा आयोजित और संचालित लाटरी से है

(च) ''टिकट'' के अन्तर्गत किसी लाटरी की संभावना में भाग लेने के लिये किसी व्यक्ति के दावे की प्रकट करने वाला कोई दस्तावेज भी है, किन्तु इसके अन्तर्गत वस्तुओं के किसी क्रेता को ऐसी वस्तुओं के मूल के नकद भुगतान के लिये जारी किया गया कोई कैश मेमो नहीं है।

3—<u>लाटरियों के संप्रवर्तन का और उनके संबंध में अन्य कार्यवाही का प्रतिषेध —</u>

(1) कोई व्यक्ति—

(क) किसी लाटरी का संप्रवर्तन या उसका संचालन नहीं करेगा या

(ख) किसी लाटरी में किसी टिकट, लाट, संख्यांक, रंग या आकृति को निकालने से संबंधित या लागू होने वाली किसी घटना या आकस्मिकता पर किसी व्यक्ति के लाभ के लिये किसी धनराशि का भुगतान करने की या कोई माल देने की या कोई कार्य करने या उससे प्रवरित रहने की प्रस्थापना नहीं करेगा या

(ग) किसी लाटरी में प्रयोग के लिये कोई टिकट मुद्रित नहीं करेगा या

(घ) किसी टिकट या किसी लाटरी में संयोग को न तो बेचेगा न उसका वितरण करेगा, न बिक्री या वितरण के लिये प्रस्थापना करेगा, न विज्ञापन करेगा और न बिक्री या वितरण के प्रयोजन के लिये अपने कब्जे में रखेगा या

(ड) निम्नलिखित को न मुद्रित करेगा, न प्रकाशित करेगा, न वितरित करेगा और न प्रकाशन या वितरण के प्रयोजन के लिये अपने कब्जे में रखेगा––

(एक) किसी लाटरी का कोई विज्ञापनय या

(दो) किसी लाटरी में पुरस्कार विजेताओं या जीते हुये टिकटों की कोई सूची (चाहे पूर्ण हो या अपूर्ण) या

(तीन) किसी लाटरी के निकालने या निकालने के आशय को प्रकट करने वाली या अन्यथा, किसी लाटरी से संबंधित कोई ऐसी सामग्री जो कि व्यक्तियों को किसी लाटरी में भाग लेने के लिये उत्प्रेरित करने के लिये प्रकल्पित हो या

(च) बिक्री या वितरण के प्रयोजन के लिये कोई टिकट या किसी लाटरी का विज्ञापन राज्य के भीतर नहीं लायेगा न राज्य के भीतर भेजने के लिये किसी व्यक्ति को निवेदन करेगा या

(छ) निम्नलिखित को राज्य के बाहर न भेजेगा और न भेजने का प्रयास करेगा–

(एक) किसी टिकट या किसी लाटरी में संयोग की बिक्री या वितरण के संबंध में प्राप्त कोई धन या मूल्यवान वस्तु या

(दो) किसी टिकट या किसी लाटरी में संयोग की बिक्री या वितरण की अभिलिखित करने वाला कोई दस्तावेज या

(तीन) किसी टिकट या किसी लाटरी में संयोग के धारक की पहचान को अभिलिखित करने वाला कोई दस्तावेज या

(ज) किसी लाटरी के संप्रवर्तन या संचालन से संबंधित प्रयोजनों के लिये किसी परिसर का उपयोग नहीं करेगा और न किसी परिसर का उपयोग करने की अनुज्ञा देगा।

4– शास्ति–

जो कोई धारा 3 के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा, वह जुर्माने से जो बीस हजार रूपये तक का हो सकेगा, या ऐसी अवधि के कारावास जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा, या दोनो से दण्डित किया जायेगा।

5–कम्पनियों द्वारा अपराध–

(1) यदि इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध करने वाला व्यक्ति कम्पनी हो, तो कम्पनी और प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध किये जाने के समय उसका कारोबार चलाने के निमित्त कम्पनी का अवधायक तथा उसके प्रति उत्तरदायी हो, अपराध करने के दोषी समझे जायेंगे और उनके विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी तथा तद्नुसार उन्हें दण्डित किया जा सकेगाः

परन्तु इस उपधारा में दी गयी किसी बात से कोई ऐसा व्यक्ति किसी दण्ड का भागी नहीं होगा यदि वह यह सिद्ध कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था यह उसने ऐसे अपराध के किये जाने को रोकने के लिये समस्त सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2)- उपधारा (1) में दी गयी किसी बात के होते हुये भी, जहां इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है और यह सिद्ध हो जाय कि अपराध कम्पनी के किसी निदश े ाक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है, या उसकी किसी उपेक्षा के कारण किया गया है तो ऐसे निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी को भी उस अपराध का दोषी समझा जायेगा और उनके विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और तद्नुसार दण्डित किया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण––इस धारा के प्रयोजन के लिये––

(क) ''कम्पनी'' का तात्पर्य किसी नियमित निकाय से है और इसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है और

(ख) किसी फर्म के संबंध में ''निदेशक'' का तात्पर्य फर्म में किसी भागीदार से है।

6– जुर्माने के संबंध में मजिस्ट्रेट की विशेष शक्ति–

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 26 में दी गयी किसी बात के होते हुये भी किसी महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिये धारा 4 के अधीन दण्डनीय किसी व्यक्ति को पांच हजार रूपये से अधिक के जुर्माने का दण्ड देना विधि पूर्ण होगा।

7––तलाशी और अभिग्रहण–

(1) निदेशक या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, ऐसी सहायता से जैसी आवश्यक हो, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध को करने के संबंध में प्रयुक्त या प्रयुक्त किये जाने के लिये संदिग्ध किसी स्थान में प्रवेश कर सकता है और उसकी तलाशी ले सकता है।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन ली गयी किसी तलाशी के परिणामस्वरूप कोई वस्तु पायी जाय और तलाशी लेने वाले अधिकारी को यह विश्वास करन ` का कारण हो कि ऐसी

वस्तु इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध से संबंधित है, वह वहां ऐसी वस्तु को अभिगृहीत कर सकता है।

(3) तलाशियों और अभिग्रहणों से संबंधित दण्ड प्रक्रिया संहिता,1973 के उपबन्ध, यथासंभव, इस धारा के अधीन की गयी प्रत्येक तलाशी या अभिग्रहण को लागू होंगे।

(4) निदेशक या उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी अन्य अधिकारी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक कहा जायेगा।

8– कतिपय मामलों में लाटरी का संचालन करने की अनुज्ञा–

राज्य सरकार लोक हित में, अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तो और निबन्धनों के अधीन रहते हुये, जैसी वह आरोपित करे, पूर्व प्रायोजनों के लिये या लोक कल्याण की अभिवृद्धि के प्रयोजन के लिये स्थापित किसी निकाय या संगठन की लाटरी का संचालन
कराने की अनुज्ञा दे सकती है।

9– सद्भावना से की गयी कार्यवाही का संरक्षण–

राज्य सरकार या किसी व्यक्ति के विरूद्ध ऐसे किसी कार्य के संबंध में जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के अनुसरण में सद्भावना से किया गया हो या किये जाने के लिये आशयित हो, कोई वाद,अभियोजन या कोई अन्य विधिक कार्यवाही
नहीं की जायेगी।

10–नियम बनाने की शक्ति–

(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

(2) उपधारा (1) के अधीन बनाये गये नियमों में यह व्यवस्था की जा सकती है कि ऐसे नियमों का कोई उल्लंघन पांच हजार रूपये से अनधिक की ऐसी धनराशि के, जो ऐसे नियमों में निर्धारित की जाय, जुर्माने से दण्डनीय होगा।

11– भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294–क का निकाला जाना -

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294–क का निकाल दी जायेगी।

12– निरसन और अपवाद-

(1) उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत लाटरी (निवारण) अध्यादेश, 1995 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपधारा (1) निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी संस्थान समय पर प्रवृत्त थे।